संख्या- 270 /2026/आर0एफ0-1479/नौ-9-2026/058-ई-1967480

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गोपामऊ,
जनपद-हरदोई।

नगर विकास अनुभाग-**9** लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, **2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 से व्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-161/2025/RF-1797/नौ-9-2025/003-ई-1948524, दिनांक-04.10.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित एल0ई0डी0 लाईट, सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्यो हेतु नगर पंचायत गोपामऊ, जनपद-हरदोई को कुल लागत रू**0** 99.99 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये ऋण के रूप में आवंटित धनराशि रू**0 99.99** लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू**0 49.99** लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-हरदोई द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत गोपामऊ, जनपद-हरदोई को **द्वितीय/अंतिम किश्त** के रूप में धनराशि **रू0 48.98** लाख (रूपये अडतालीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	निकाय, जनपद एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्राक्कलित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	ऋण के रूप में आवंटित धनराशि	निविदा (टेण्डर) की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/अंतिम किश्त की निर्गत की जा रही धनराशि *(निविदा की धनराशि-प्रथम किश्त की धनराशि) (5-6)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर पंचायत गोपामऊ, जनपद-हरदोई में एल0ई0डी0 लाईट, सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	99.99	99.99	98.97	49.99	48.98

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-**03**-नगर पंचायतें-**30**-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2027 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-161/2025/RF-1797/नौ-9-2025/003-ई-1948524, दिनांक-04.10.2025 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रुपये **48.98 लाख (रूपये अड़तालीस लाख अट्ठानवे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890403 नगर पंचायतें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/वी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 20-08-2026
19:20:20

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 270 /2026/आर0एफ0-1479/नौ-9-2026/058-ई-1967480, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-हरदोई।
6. कोषाधिकारी, जनपद-हरदोई।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-20/08/2026

प्रेषण संख्या:- 270
आवंटन आदेश संख्या:- 001-270-2026-RF-1479-9-9-2026-058-E-1967480
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4898000 19882000	4898000 19882000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4898000 19882000	4898000 19882000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तालीस लाख अठानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ अठानवे लाख बयासी हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

Digitally signed by DEVESH MISHRA
Reason: Allotment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: 2026.08.25 06:53:14 +05:30